राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।

क्रमांक.एफ–4 / मु. / याता / लेखा (109) / 2020 / 601 दिनांकः 06.03.2020

कार्यालय–आदेश

प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ''8,मार्च'' महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। उप शासन सचिव,परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर के पत्रांक प.17(17) परि / 2009 / जयपुर दिनांक 06.03.2020 से वित्त विभाग की आई.डी संख्या 102001190 दिनांक 05.03.2020 के अनुसरण में जारी प्रशासनिक एवम् वित्तीय स्वीकृति की अनुपालना में इस वर्ष भी महिला दिवस के उपलक्ष में ''8 मार्च, 2020'' के दिन (केवल एक दिन) '' **राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की राज्य की सीमा में संचालित समस्त साधारण एवं द्रुतगामी बसों (वातानुकूलित एवं वोल्वों के अतिरिक्त) में यात्रा करने वाली समस्त महिलाओं / बालिकाओं को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करने की अनुमति प्रदान की जाती है।** इस दिवस की यात्रा के लिए अग्रिम आरक्षण की सुविधा भी देय होगी।

पत्रक वितरक / परिचालक इस दिवस हेतु निःशुल्क यात्रा टिकिट जारी कर सकेगें। परिचालक E.T.I.M.(ElectronicTicket Issuing Machine) से टिकिट जारी करेगें तथा E.T.I.M.(ElectronicTicket Issuing Machine) के किन्ही कारणों से क्रियाशील नही होने पर निःशुल्क / रियायती टिकिट बुक से टिकिट जारी की जावेगी तथा टिकिट पर **''बालिका / महिला यात्री'' एवम् दिनांक** अंकित किया जाना आवश्यक होगा। पत्रक वितरक / परिचालक को इस एक दिवस के लिये निःशुल्क यात्रा के लिये टिकिट जारी करने में एकरूपता रखने के उद्धेश्य से निर्देश प्रदान किये जाते है कि यह निःशुल्क यात्रा सुविधा केवल दिनांक 08.03.2020 (एक दिवस) के लिये दी गई है । एक दिवस का तात्पर्य कलेण्डर दिवस (दिनांक 08.03.2020 को 00.00 बजे से रात्रि 24.00 बजे तक) होगा।

कलेण्डर दिवस की समयावधि में जारी टिकिटों पर ही निःशुल्क यात्रा मान्य होगी। बसों में निःशुल्क यात्रा केवल **राजस्थान सीमा तक** ही मान्य होगी।

(नवीन जैन)
प्रबन्ध निदेशक

क्रमांकः– एफ–4 / मु0 / याता. / लेखा(109) / 2020 / 601 दिनांकः 06.03.2020

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. आयुक्त एवं शासन सचिव, परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. आयुक्त एवं शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक राजस्थान परिवहन निगम मुख्यालय जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक ,(महिला अधिकारिता) निदेशालय महिला अधिकारिता ,जे–7 झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।
5. उप शासन उप सचिव, (परिवहन), परिवहन विभाग,राजस्थान सरकार, जयपुर को उनके पत्रांक प. 17(17)परि / 2009 / जयपुर दिनांक 05.03.2020 के क्रम में।
6. समस्त विभागाध्यक्ष ( ) राजस्थान परिवहन निगम मुख्यालय जयपुर ।
7. महा प्रबन्धक / सयुक्त महा प्रबन्धक / उप महा प्रबन्धक( ) रा प नि मुख्यालय, जयपुर।
8. उप महा प्रबंधक (सांख्यिकी) / ए.सी.पी. राजस्थान परिवहन निगम मुख्यालय, जयपुर।
9. निगम सचिव, / कार्यकारी प्रबन्धक ( ) राज. परि. निगम मुख्यालय, जयपुर।
10. जोनल मैनेजर,राजस्थान परिवहन निगम,..............................
11. कार्यकारी प्रबंधक (जन सम्पर्क) राजस्थान परिवहन निगम मुख्यालय जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त के सम्बंध में आवश्यक प्रचार–प्रसार करावें।
12. लेखाधिकारी (टिकिट) राजस्थान परिवहन निगम मुख्यालय, जयपुर ।
13. समस्त मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान परिवहन निगम ....आगार को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि निःशुल्क / रियायती टिकिटों के सम्बन्ध में प्रकिया एवं रिकार्ड का संधारण से सम्बन्धित कार्यवाही की जावे तथा समस्त निरीक्षकों / परिचालकों एवम् सभी सम्बन्धितों को इस सम्बन्ध में निर्देश प्रदान करते हुये उक्तानुसार निःशुल्क यात्रा सुविधा देना सुनिश्चित करेंगे। जिस प्रकार गत वर्ष महिला दिवस (दिनांक 8 मार्च 2019) पर प्रपत्र 'क' के अनुसार सूचना संकलित कर प्रेषित की गई थी ,उसी अनुरूप प्रपत्र 'क' (प्रति संलग्न) के अनुसार ''महिला दिवस '' (दिनांक 8 मार्च 2020) को प्रदत निःशुल्क यात्रा सुविधा से निगम पर पडने वाले वित्तीय भार की सूचना उप महा प्रबंधक(साख्यिकी),जयपुर को आवश्यक रूप से 13 मार्च, 2020 तक भेजना सुनिश्चित करें ।
14. प्रबंधक (यातायात / वित्त) राजस्थान परिवहन निगम ....आगार।
15. आदेश पत्रावली।

(एम.पी.मीना)